



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- apccf-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-21/2016-807 दिनांक : 26/6/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची/
वन संरक्षक, राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना" (अन्य व्यय) के अंतर्गत साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु ट्रायल वनरोपण एवं प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन तथा वानिकी संबंधित बेसलाइन ऑकड़ों का सेम्पल प्लॉट एवं कंट्रोल प्लॉट के आधार पर संग्रहण एवं अध्ययन का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए कुल **रु0 15.154 लाख (पन्द्रह लाख पन्द्रह हजार चार सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-41/2016-25/स्वी0 व0प0 दिनांक 30.07.2016 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-41/2016-42/आ0 व0प0 दिनांक 09.05.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष- 60 प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रु0 15.154 लाख (पन्द्रह लाख पन्द्रह हजार चार सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाइयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101600103	14.036
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101600323	1.118
कुल :-		15.154

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत्यादेश के **अनुलग्नक-1 (क) एवं (ख)** पर वर्णित वन संरक्षक, होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2 (क) एवं (ख)** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या— 19S240601101600103 तथा 19S240601101600323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची तथा मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित करेंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं हो।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा तत्सम्बन्धी पत्र परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी दर में मजदूरों को भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

12. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार में अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना

सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि चतुर्थ वर्ष के लिए उप आवंटित राशि का व्यय करने के पूर्व शोध वनरोपण के कार्यदर के क्रमांक 8 में वर्णित कार्यों से संबंधित ऑकड़ों का संग्रहण एवं संकलन से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही वनरोपण स्थल पर पौधों की उत्तरजीविता के अनुरूप राशि का व्यय किया जाएगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-21/2016- 807 दिनांक- 26/6/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, शोध, झारखण्ड, राँची/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-21/2016- 807 दिनांक- 26/6/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु ट्रायल वनरोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :- वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची
(राशि लाख में)

क्र० सं०	कार्य विवरणी/ भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v
1	शोध एवं मूल्यांकन प्रक्षेत्र, महेशपुर में साल पौधों का ट्रायल वनरोपण, (10 हे०)	11.786	0.648	12.434
2	शोध एवं मूल्यांकन प्रक्षेत्र, देवघर में साल पौधों का ट्रायल वनरोपण (10 हे०)			
3	शोध एवं मूल्यांकन प्रक्षेत्र, गम्हरिया में साल पौधों का ट्रायल वनरोपण (10 हे०)			
योग :-		11.786	0.648	12.434

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन तथा वानिकी संबंधित बेसलाइन आँकड़ों का सेम्पल प्लॉट एवं कंट्रोल प्लॉट के आधार पर संग्रहण एवं अध्ययन का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :- वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची
(राशि लाख में)

क्र० सं०	कार्य विवरणी/ भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v
1	प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन तथा वानिकी संबंधित बेसलाइन आँकड़ों का 10 हे० सेम्पल प्लॉट एवं 10 हे० कंट्रोल प्लॉट के आधार पर संग्रहण एवं अध्ययन	2.250	0.470	2.720
योग :-		2.250	0.470	2.720
सकल योग :-		14.036	1.118	15.154

नोट :- विभागीय स्वीकृत्यादेश 25 दिनांक 30.07.2016 द्वारा स्वीकृत।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-2 (क)

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु ट्रायल वनरोपण कार्य 30 हे० हेतु दर तालिका (तीनों प्रक्षेत्र के लिए 10-10 हे०)

मजदूरी : रु 237.38 प्रति मानव दिवस

पौधों की दूरी - 3 मी० x 2 मी०

पौधों की संख्या - 1600 प्रति हेक्टेयर

1000 - साल एवं 600 - उसके सहयोगी (हर्रे, बहेरा, बीजा साल, कुसुम, महुआ, करम, पीयार, सेमल, आसन, अर्जुन, आंवला आदि)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दर प्रति हेक्टेयर				योग
		इकाई	मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	
1	2	3	4	5	6	7
(A)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में समापन कार्य (तृतीय वर्ष)					
1	दो कोड़नी-निकौनी,	30 हे०	1110	263491.80	0.00	263491.80
2	पौधों में पानी पटाना।	30 हे०	1680	398798.40	0.00	398798.40
3	दो मलचिंग	30 हे०	600	142428.00	0.00	142428.00
4	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन multi nutrient आदि)।	30 हे०		0.00	34200.00	34200.00
5	पौधों की सुरक्षा (एक व्यक्ति पूरे वर्ष) 25 हे० क्षेत्रफल तक के लिए।	3 स्थल	1095	259931.10	0.00	259931.10
6	गड़ढा घेरान की मरम्मत	30 हे०	150	35607.00	0.00	35607.00
7	मृत पौधों का बदलाव।	30 हे०	150	35607.00	13200.00	48807.00
8	पौधों की अतिरिक्त शाखाओं की कटाई-छंटाई, झाड़ी-सफाई, पौधों की मापी, आँकड़ों का संग्रहण एवं संकलन आदि कार्य।	3 स्थल	150	35607.00	9000.00	44607.00
9	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)।	3 स्थल	0	0.00	4500.00	4500.00
10	साईन बोर्ड का रख-रखाव आदि कार्य।	3 स्थल	30	7121.40	3900.00	11021.40
	योग :-		4965	1178591.70	64800.00	1243391.70

विभागीय स्वीकृतिपत्र संख्या 4/यो0ब0-41/2016-25 दिनांक 30.07.2016

प्रधान मुख्य वन प्ररक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्राकृतिक वनों में जलवायु परिवर्तन तथा वानिकी संबंधित बेसलाइन आंकड़ों का सेम्पल प्लॉट एवं कंट्रोल प्लॉट के आधार पर संग्रहण एवं अध्ययन का दर तालिका

कुल क्षेत्र - सेम्पल प्लॉट - 10 हे०
कंट्रोल प्लॉट - 10 हे०

क्र. सं.	कार्य की विवरणी	मानव दिवस	प्राक्कलित राशि (रु० लाख में)		
			मजदूरी	सामग्री	कुल
1	2	3	4	5	6
A	वित्तीय वर्ष 2018-19				
1	झाड़ी सफाई एवं पुटुस उन्मूलन (10 हे०)	20	0.440	-	0.440
2	घेरान मरम्मति (10 हे०)	5	0.110	-	0.110
3	वनों में आंतरिक अग्नि रेखा की सफाई 5 मीटर चौड़ा (प्रत्येक 250 मीटर पर) (10 हे०)	2	0.040	-	0.040
4	सिल्वीकल्चरल कार्य (10 हे०)	10	0.220	-	0.220
5	सेम्पल प्लॉट तथा कंट्रोल प्लॉट में क्वाड्रान्ट तथा सब-क्वाड्रान्ट की सफाई एवं अनुरक्षण	2	0.130	0.020	0.150
6	सुरक्षा	10	0.440	-	0.440
7	अनुसंधान सहायक-सह-सर्वेक्षक, 2 माह (अक्टूबर तथा मार्च) के लिए, रु०-14000/-	-	0.280	-	0.280
8	अनुसंधान सहायक-सह-सर्वेक्षक के लिए यात्रा भत्ता, 2 माह (अक्टूबर तथा मार्च) के लिए, रु०-3000/-	-	0.060	-	0.060
9	4 अकुशल मजदूर 2 माह के लिए (गणना हेतु) 20 हे०	-	0.530	-	0.530
10	आंकड़ों का विश्लेषण, अभिलेखन एवं छायांकन	-	-	0.250	0.250
11	Soil samples का Total analysis (भारतीय वानिकी अनुसंधान परिषद से)	-	-	0.200	0.200
	योग :-	49	2.250	0.470	2.720

विभागीय स्वीकृति/आदेश संख्या 4/यो०ब०-41/2016-25 दिनांक 30.07.2016

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास),
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटित राशि की विवरणी :-

TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	19S240601101600103	19S240601101600323	Total
Doranda	DRNFWL020	Shri Y K Das	Cf.Plantation Res.&Evl.Jhkd	1178600 (36997)	64800 (37001)	1243400
Doranda	DRNFWL032	Kamlesh Pandey	Cf & State Silviculturist Jha	225000 (36999)	47000 (37003)	272000

कुल आवंटित राशि :- 1515400 (पंद्रह लाख पंद्रह हजार चार सौ) रूपये मात्र ।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

पार्षद वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-81/2016/807

दिनांक - 26-Jun-2

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101600103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Central Scheme : NA	36997	DRNFWL020 SHRI Y K DAS CF.PLANTATION RES.&EVL.JHKD	1,178,600.00 रुपये ग्यारह लाख अठहत्तर हजार छः सौ
2	S 19 240601101600103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Central Scheme : NA	36999	DRNFWL032 KAMLESH PANDEY CF & STATE SILVICULTURIST JHA	225,000.00 रुपये दो लाख पच्चीस हजार
3	S 19 240601101600323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Central Scheme : NA	37001	DRNFWL020 SHRI Y K DAS CF.PLANTATION RES.&EVL.JHKD	64,800.00 रुपये चौसठ हजार आठ सौ

योग:

1,468,400.00

क्रमिक योग:

रुपये चौदह लाख अड़सठ हजार चार सौ

(Signature)
(SHRI SATNAM SINGH
CF.D.BADMAKHAIRANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601101600323	37003	DRNFWL032	47,000.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		KAMLESH PANDEY	रुपये सैतालीस हजार
	101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण			
	60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन		CF & STATE SILVICULTURIST JHA	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme :	TRAINING FACILITIES(0343)		
	Central Scheme :	NA		



योग:

47,000.00

क्रमिक योग:

रुपये पंद्रह लाख पंद्रह हजार चार सौ

1,515,400.00

(Signature)
 (SHRI SATNAM SINGH
 PCCF, DEBADMARWANSI RANCHI